

दिनांक 28.03.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री अपर्णा अवस्थी उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमेश चन्द्र जोशी पेश। पत्रावली धारा 437ए/निर्णय हेतु नियत है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा 44ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मामले में कुछ बिन्दुओं पर बहस की जानी आवश्यक है। सुना। स्वीकार। पत्रावली वास्ते पुनः बहस/धारा 437ए दफ़्तार हेतु लंच बाद पेश हो।

(रजनीश माहन)
सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0श्रे0,
श्रीनगर पौडी गढ़वाल।

दिनांक 28.03.2024 लंच बाद

पत्रावली पुनः पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री अपर्णा अवस्थी उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमेश चन्द्र जोशी पेश। पत्रावली पुनः बहस/धारा 437ए हेतु नियत है। पक्षकारों की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते धारा 437ए दफ़्तार/निर्णय हेतु दिनांक **30.03.2024** को पेश हो।

(रजनीश माहन)
सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0श्रे0,
श्रीनगर पौडी गढ़वाल।